

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग-1)

क्रमांक: एफ 7(2)ग्रावि/ग्रुप-1/2017/पार्ट-1

जयपुर, दिनांक: 18 DEC 2017

—आदेश—

श्री राजनारायण हर्ष, अधिशाषी अभियन्ता (अभियांत्रिकी), जिला परिषद, पाली की सेवाएं निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से पैतृक विभाग-सार्वजनिक निर्माण विभाग को लौटाई जाती हैं एवं निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपनी उपस्थिति अपने पैतृक विभाग (सार्वजनिक निर्माण विभाग) में प्रस्तुत करें ।

यह सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।



(सीमा सिंह)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)

E-mail dsadmn_rdd@yahoo.com

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
7. शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर।
8. जिला कलक्टर, पाली।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली को प्रेषित कर लेख है कि कृपया श्री हर्ष को तत्काल कार्यमुक्त कर अवगत करावें।
10. संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर।
11. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर।
12. श्री राजनारायण हर्ष, अधिशाषी अभियन्ता(अभि), जिला परिषद, पाली।
13. प्रोग्रामर, ग्रा.वि. राज0 जयपुर को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।



(राजेश कुमार शर्मा)

परियोजना अधिकारी(प्रशासन)